

र व वाशि
जो धर
वासील
उत्तर

न्यायालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 363/18
सरकार

बनाम

श्री: अतरसिंह पुत्र
कल्याण राजपूत

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 26/2/18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री अतरसिंह पुत्र श्री कल्याण जाति राजपूत निवासी कोठडला तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रवि / खरीफ में ग्राम कोठडला की राजकीय आराजी खसरा नं. 340 रकबा 130m² किस्म गे.कृ. भूमि से 130m² रकबा पर अनाधिकृत रूप से पाघोल कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अतः अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रुपये 0.26 का 50 गुना 1327 की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर ग/घ के पेश नं. 103 पर
वर्ष 2017-18 की राशि तहसीलदार के पास 1327 के...
की जमा कायमी वर्ष...
दिनांक: 26/2/18 तहसीलदार के आकार
तहसील-महवा

नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
महवा जिला दौसा